कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cfmedininagar@gmail.com

दूरभाष / Phone: 06562.224953,8987790232

पत्रांक–186 मेदिनीनगर, दिनांकः–20.03.2026

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

विषयः– लातेहार जिला अंतर्गत बनहरदी कोल ब्लॉक हेतु कुल 515.32 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सख्या (FP/JH/MIN/147316/2021) के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 8–18 / 2024–FC दिनांक 08.02.2026 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 198 दिनांक 12.03.2026 तथा आपका पत्रांक 922 दिनांक 17.03.2026, इस कार्यालय के पत्रांक 176 दिनांक 19.03.2026, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 410 दिनांक 19.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत बनहरदी कोल ब्लॉक हेतु (अधिसूचित वनभूमि 497.02 हे0 एवं जंगल–झाड़ी भूमि 18.30 हे0) कुल 515.32 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में पर्यावारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8–18 / 2024–FC दिनांक 08.02.2026 द्वारा 04 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 156 दिनांक 10.03.2026 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची अग्रसारित किया गया था।

उक्त समर्पित निराकरण प्रतिवेदन के सन्दर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 198 दिनांक 12.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनः सूचित किया गया है कि भारत सरकार के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गयी पृच्छाओं के अनुरूप अनुपालन प्रतिवेदन नहीं है।

उक्त के आलोक में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन प्रतिवेदन अग्रसारित करने के पूर्व इस कार्यालय के पत्रांक 176 दिनांक 19.03.2026 द्वारा मूल संचिका सभी अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजी गयी।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर ने अपने प्रासंगिक पत्र द्वारा संचिका वापस करते हुए सूचित किया गया है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल से प्राप्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छाओं से संबंधित स्पष्ट अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 21.03.2026 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गयी पृच्छाओं के अनुरूप एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/3/26

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

20.3.26